

कार्यालय आदेश

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान जयपुर (SSAAT) का स्वतंत्र कार्यालय प्रारम्भ हो चुका है। इस कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति किया जाकर अधिनियम के प्रावधानों की पालना की जानी है।

सोसायटी के कार्यालयाध्यक्ष को इस सोसायटी के लिए "लोक सूचना अधिकारी" (PIO) घोषित किया जाता है एवं निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान को प्रथम अपील अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह निर्णय श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा. विभाग सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति, (SSAAT) की स्वीकृति आई.डी. संख्या 2643 दिनांक 16.07.2020 द्वारा अनुमोदित है।

- ६ -

(रामावतार शर्मा)

निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं
पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान

कमांक :- एफ 61(37) SSAAT/सूचना का अधिकार/2019-20 9051-60

जयपुर, दिनांक 20-7-2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय, (SSAAT) ।
2. निजी सचिव, श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा. विभाग सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति, (SSAAT) ।
3. निजी सचिव, श्रीमान मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं सदस्य सचिव, शासी निकाय (SSAAT) ।
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) ।
6. कार्यालयाध्यक्ष (SSAAT) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के यथा संशोधित प्रावधानों की पालनार्थ, जो भी आवश्यक कार्यवाही हो, वह कराना सुनिश्चित करें।
7. समस्त सहायक लेखाधिकारी-प्रथम/द्वितीय (SSAAT) ।
8. प्रोग्रामर/सूचना सहायक (SSAAT) ।
9. रक्षित पत्रावली।

(रामावतार शर्मा)

निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं
पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान